न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

वि0न0 –154/2020(2020/00218)

शिनवान : –

रोहताश पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
2. राजेन्द्र पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
3. कांता देवी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
4. सुरसती पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
5. ओ0 बी0 सी0 शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक गांधीबड़ी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री धर्मपाल बेरवाल **वादी**
श्री राजेश बैनीवाल **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 09/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 एएमएस के वर्तमान खाता संख्या 185/167 के मुरब्बा न0 66 के किला न0 19/1, 20/1, 21, 22, मु0 न0 77 के किला न0 2, 7, 8, 9, 12 इस प्रकार कुल किता 9 की कुल 2.151 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 हरीसिंह के नाम, चक 11 एएमएस के खाता संख्या 48/104 के मु0 न0 3 के किला न0 6, 13 ता 17 इस प्रकार कुल किता 6 की कुल 1.125 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह के नाम 1/2 हिस्सा, चक 11 एएमएस के खाता संख्या 105/96 के मु0 न0 3 के किला न0 12, 18 ता 23, मु0 न0 4 के किला न0 16, 23 ता 25, मु0 न0 6 के किला न0 6, 7, 12 ता 25, मु0 न0 7 के किला न0 1 ता 25, मु0 न0 8 के किला न0 1 ता 4, 13, 18 ता 23 इस प्रकार कुल किता 67 की कुल 15.660 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह के नाम 104 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:34:44 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मेताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा दीपाराम की

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खातेदारी हुआ करती थी। दीपाराम से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी हरिसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी हरिसिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह को वादी के दादा दीपाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जमाबन्दी चक 11 एएमएस सम्वत 2046 के खाता संख्या 28 एवं चक 9 एएमएस सम्वत 2045 के खाता संख्या 37/32 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 3 व 4 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी रोहताश पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 9 एएमएस सम्वत 2073–76 खाता संख्या 185/167 प्रदर्श 1, जमाबनदी चक 11 एएमएस सम्वत 2074–77 खाता संख्या 49/2 प्रदर्श 2, खतौनी जमाबन्दी चक 11 एएमएस सम्वत 2046 खाता संख्या 26/28 प्रदर्श 3, जमाबन्दी चक 9 एएमएस सम्वत 2045 खाता संख्या 38/33 प्रदर्श 4, सरपंच ग्राम पंचायत साहूवाला द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील वादी ने स्वीकार कि[illegible] खाता संख्या 105/96 की कुल 15.660 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] नाम 104 हिस्सा के ऐसे कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किये है जिससे [illegible] पैत्रक कृषि भूमि साबित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:34:44 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

चक 9 एएमएस के वर्तमान खाता संख्या 185/167 के मुरब्बा न0 66 के किला न0 19/1, 20/1, 21, 22, मु0 न0 77 के किला न0 2, 7, 8, 9, 12 इस प्रकार कुल किता 9 की कुल 2.151 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 हरीसिंह के नाम, चक 11 एएमएस के खाता संख्या 48/104 के मु0 न0 3 के किला न0 6, 13 ता 17 इस प्रकार कुल किता 6 की कुल 1.125 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 एएमएस के वर्तमान खाता संख्या 185/167 के मुरब्बा न0 66 के किला न0 19/1, 20/1, 21, 22, मु0 न0 77 के किला न0 2, 7, 8, 9, 12 इस प्रकार कुल किता 9 की कुल 2.151 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 हरीसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है उसमें से प्रतिवादी हरिसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी रोहताश व प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है, इसी प्रकार चक 11 एएमएस के खाता संख्या 48/104 के मु0 न0 3 के किला न0 6, 13 ता 17 इस प्रकार कुल किता 6 की कुल 1.125 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है उसमें से प्रतिवादी संख्या 1 को 0.063 हैक्टेयर व वादी रोहताश व प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र को 1.062 हैक्टेयर के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09/08/2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:34:44 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

Note:- क्रियात्मक आदेश में पंक्ति संख्या 10 में 1.062 है0 के स्थान पर 0.4995 है0 पढ़ा जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला – हनुमानगढ़